No. of Printed Pages : 8

IBO-04

POST GRADUATE DIPLOMA IN INTERNATIONAL BUSINESS OPERATIONS/MASTER OF COMMERCE (PGDIBO/M.COM.)

Term-End Examination

December, 2022

IBO-04 : EXPORT-IMPORT PROCEDURES AND DOCUMENTATION

Time : 3 Hours *Maximum Marks : 100*

Note : *Answer* ***both*** *the Parts—Part A and Part B.*

Part—A

1. Comment on the following statements : 5 each

   (i) Litigation is most suitable for settlement of international trade disputes.

(ii) Documentation is not as much of an important activity as the conclusion of an export order and its fulfilment.

(iii) Credit risk is not greater in export transactions.

(iv) The insurance contract is not in the nature of indemnity.

Part—B

Note : Answer any ***four*** questions.

2. What are the key elements of an EDI system ? Discuss with examples and explain the procedure of bar coding for EDI system along with the steps involved in the bar coding system. 5+15

3. "The payment through documentary credits have become popular because the mechanism therein reconciles the conflicting interest of buyers and sellers." Discuss this statement and explain the practical mechanism of payment under the documentary credit system along with the detailed formalities. 5+15

4. What is credit risk ? What are the various types of cover issued by ECGC ? Describe the types of standard policies provided by ECGC highlighting the risks covered and not covered under the standard policy. 4+4+12

5. Why is import financing required ? Describe various methods of import finance available to Indian importers along with the procedural formalities. 5+15

6. Why is institutional infrastructure important for the foreign trade ? Describe various technical and specialised services assistance related to the institutional setup for export promotion in India. 5+15

7. Write short notes on any ***two*** of the following : 10 + 10

   (a) Standardised pre-shipment export documents

(b) Financial Guarantees provided by ECGC

(c) ISO 9000

(d) Export of goods under Bond/Letter of Undertaking (LUT) under Rule 19 of Central Excise Duty.

IBO-04

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय प्रचालन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि (पी. जी. डी. आई. बी. ओ./एम. कॉम.)

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2022

आई.बी.ओ.-04 : निर्यात-आयात प्रक्रिया व प्रलेखीकरण

समय : 3 घण्टे *अधिकतम अंक : 100*

नोट : *खण्ड 'अ' तथा खण्ड 'ब'* ***दोनों*** *कीजिए।*

खण्ड–अ

1. निम्नलिखित कथनों पर टिप्पणियाँ लिखिए : प्रत्येक 5

   (i) मुकदमेबाजी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक विवाद निपटाने के लिए सबसे उपयुक्त है।

(ii) निर्यात प्रलेखीकरण उतनी महत्वपूर्ण गतिविधि नहीं है जितना कि किसी निर्यात आदेश को पूरा करना तथा उसका निष्पादन करना।

(iii) निर्यात व्यापार में ऋण जोखिम अधिक नहीं होती है।

(iv) बीमा अनुबंध क्षतिपूर्ति की प्रकृति का नहीं होता है।

खण्ड–ब

नोट : किन्हीं ***चार*** प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

2. EDI प्रणाली के मुख्य तत्व कौन-से हैं ? उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए और EDI प्रणाली के लिए बार कोडिंग की क्रियाविधि का बार कोडिंग विधि में संलग्न विभिन्न चरणों के साथ वर्णन कीजिए। 5+15

3. "प्रलेखीय साख द्वारा भुगतान की पद्धति इसलिए लोकप्रिय हुई है क्योंकि इसकी क्रियाविधि ऐसी है जो क्रेता तथा विक्रेता के परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करती है।" इस कथन की व्याख्या कीजिए और

प्रलेखीय साख पद्धति द्वारा भुगतान करने की व्यावहारिक क्रियाविधि का विस्तृत कार्यविधि के साथ वर्णन कीजिए। 5+15

4. ऋण जोखिम क्या है ? ECGC द्वारा निर्गमित विभिन्न प्रकार के संरक्षण कौन-से हैं ? ECGC द्वारा निर्गमित किए जाने वाले विभिन्न प्रकार की मानक पॉलिसियों का संरक्षित जोखिम और असंरक्षित जोखिमों संबंधित मुख्य बातों के साथ वर्णन कीजिए। 4+4+12

5. आयात वित्त की आवश्यकता क्यों होती है ? भारतीय आयातकों को उपलब्ध विभिन्न प्रकार के आयात वित्त का क्रियाविधि के साथ वर्णन कीजिए। 5+15

6. विदेशी व्यापार के लिए संस्थागत ढाँचा क्यों महत्वपूर्ण है ? भारत में निर्यात संवर्धन के लिए तकनीकी तथा विशिष्ट सेवा सहायता संबंधित संस्थागत ढाँचा का विवेचन कीजिए। 5+15

7. निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : 10+10

(i) मानकीकृत पोत-लदान पूर्व निर्यात प्रलेख

(ii) ECGC द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय गारंटियाँ

(iii) आई. एस. ओ. 9000

(iv) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के नियम 19 के अनुसार वचन-पत्र (LUT) के अंतर्गत माल का निर्यात